



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 2]
No. 2]नई दिल्ली, जनवरी 7—जनवरी 13, 2018, शनिवार/ पौष 17—पौष 23, 1939
NEW DELHI, JANUARY 7—JANUARY 13, 2018, SATURDAY/PAUSHA 17—PAUSHA 23, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

का.आ. 32.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड (9) के उप-खंड (2) की मद (ख) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री शैलेश रामजी घेदिया (जन्म तिथि: 25.04.1957) को उनकी नियुक्ति की अधिमूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब एंड सिंध बैंक के निदेशक मण्डल में सतदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

जानोतोष राय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 27th December, 2017

S.O. 32.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) read with item (b) of sub-clause (2) of clause (9) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government, hereby nominates Shri Shailesh Ramji Ghedia (DoB: 25.4.1957) as Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category on the Board of Directors of Punjab & Sind Bank for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

का.आ. 33.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड (9) के उप-खंड (2) की मद (ख) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री बालगोपाल महापात्रा (जन्म तिथि: 12.07.1959) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आन्ध्रा बैंक के निदेशक मण्डल में सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

S.O. 33.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) read with item (b) of sub-clause (2) of clause (9) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government, hereby nominates Shri Balgopal Mahapatra (DoB: 12.7.1959) as Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category on the Board of Directors of Andhra Bank for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

का.आ. 34.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड (9) के उप-खंड (2) की मद (ख) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री के. श्रीनिवास मूर्ति (जन्म तिथि: 19.11.1964) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कापॉरेशन बैंक के निदेशक मण्डल में सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

S.O. 34.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) read with item (b) of sub-clause (2) of clause (9) of The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government, hereby nominates Shri K. Srinivasa Murthy (DoB: 19.11.1964) as Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category on the Board of Directors of Corporation Bank for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

का.आ. 35.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (9) के उप-खंड (2) की मद (ख) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री दिनेश सिंह (जन्म तिथि: 22.10.1969) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के निदेशक मण्डल में सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

S.O. 35.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with item (b) of sub-clause (2) of clause (9) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, hereby nominates Shri Denesh Singh (DoB: 22.10.1969) as Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category on the Board of Directors of United Bank of India for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

का.आ. 36.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड (9) के उप-खंड (2) की मद (ख) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री विवेक सोनी (जन्म तिथि: 24.07.1962) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विजया बैंक के निदेशक मण्डल में सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

ज्ञानोत्तम राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

S.O. 36.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) read with item (b) of sub-clause (2) of clause (9) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government, hereby nominates Shri Vivek Soni (DoB: 24.7.1962) as Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category on the Board of Directors of Vijaya Bank for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

का.आ. 37.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री मधु सूदन दादु (जन्म तिथि: 05.06.1963) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब एंड सिंध बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

ज्ञानोत्तम राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

S.O. 37.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby nominates Shri Madhu Sudan Dadu (DoB: 5.6.1963) as Part-time Non-official Director on the Board of Directors of Punjab & Sind Bank for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

का.आ. 38.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री आशीष साहा (जन्म तिथि: 08.10.1954) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूको बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

ज्ञानतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

S.O. 38.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Asish Saha (DoB: 8.10.1954) as Part-time Non-official Director on the Board of Directors of UCO Bank for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

का.आ. 39.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री मधुर स्वामीनाथन (जन्म तिथि: 23.02.1961) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक आफ इंडिया के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

ज्ञानतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

S.O. 39.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Ms. Madhura Swaminathan (DoB: 23.2.1961) as Part-time Non-official Director on the Board of Directors of Union Bank of India for a period of three years, from the date of notification of her appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

का.आ. 40.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री शिवरमन अनंत नारायण (जन्म तिथि: 29.09.1950) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इण्डियन ओवरसीज बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

ज्ञानतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

S.O. 40.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby nominates Shri Sivaraman Anant Narayan (DoB: 29.9.1950) as Part-time Non-official Director on the Board of Directors of Indian Overseas Bank for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

का.आ. 41.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री सिद्धार्थ प्रधान (जन्म तिथि: 12.06.1952) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

ज्ञानोत्तोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

S.O. 41.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Sidhartha Pradhan (DoB: 12.6.1952) as Part-time Non-official Director on the Board of Directors of United Bank of India for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

का.आ. 42.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, डॉ. आत्मानंद (जन्म तिथि: 30.06.1959) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-बीओ-1]

ज्ञानोत्तोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

S.O. 42.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Dr Atmanand (DoB: 30.6.1959) as Part-time Non-official Director on the Board of Directors of Central Bank of India for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

का.आ.43 .—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री सलिल कुमार झा (जन्म तिथि: 18.07.1953) को उनकी नियुक्ति की अधिमूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/1/2015-वीओ-I]

ज्ञानतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 2017

S.O. 43.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Salil Kumar Jha (DoB: 18.7.1953) as Part-time Non-official Director on the Board of Directors of Indian Bank for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2015-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.